

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नोएडा/मु0वा0नि0/2013/ V-509 / 216

दिनांक:

30/7/13

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

**M/s Suntar Properties Pvt. Ltd.,
B – 35, Sector - 132,
Noida.**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2013 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित संस्थागत भवन निर्माण की भूखण्ड सं0 B-35, Sector - 132, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टिव) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजेक्ट) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नौएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दश में भू-गर्भ जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ।
17. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
18. प्रस्तुत मानचित्र भवन की 30 मी० ऊँचाई तक के लिए स्वीकृत किये जाते हैं ।
19. प्रस्तावित भवनों की प्रस्तावित ऊँचाई के सम्बन्ध में एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर मानचित्रों में उल्लेखित शर्त को निरस्त किया जायेगा तथा संशोधित पत्र एवं मानचित्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्गत किये जायेंगे ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

मुखण्ड का क्षेत्रफल	=	20116.00 वर्ग मीटर
अनुमन्य एफ0ए0आर0 @2.0	=	40232.00 वर्ग मीटर
भू-आच्छादित क्षेत्रफल @30%	=	6034.80 वर्ग मीटर

तल	अनुमन्य एफ0ए0आर0 (वर्ग मी०)	स्वीकृत एफ0ए0आर0 (वर्गमी०)
भूतल	6034.80	5458.58
प्रथम तल	6034.80	4093.99
द्वितीय तल	6034.80	4844.04
तृतीय तल		4645.92
चतुर्थ तल		2821.30
पंचम तल		2821.30
छटवां तल		2821.30
सातवां तल		2821.30
आठवां तल		2821.30
नौवां तल		797.35
दसवां तल		592.00

(Handwritten signature)

ग्यारहवां तल	शेष एफ०ए०आर०	592.00
बारवां तल		592.00
तेरहवां तल		592.00
चौदहवां तल		592.00
पन्द्रहवां तल		592.00
सौलहवा तल		592.00
सत्रहवां तल		592.00
अट्ठारवां तल		592.00
उन्नीसवां तल		592.00
कुल एफ०ए०आर०		40232.00

V-509

नॉन एफ०ए०आर०

तल	अनुमन्य एफ०ए०आर० (वर्ग मी०)	स्वीकृत एफ०ए०आर० (वर्गमी०)
बेसमेन्ट - प्रथम		16458.44
बेसमेन्ट - द्वितीय		16458.44
पोडियम		11102.39
सर्विसेज		6034.80
सर्विसेज तल(प्रथम एवं द्वितीय)		6825.81 (3698.23+3127.58)
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)		96746.26

सैटबेक	अनुमन्य	प्रस्तावित
अग्र	20.00 मीटर	20.00 मीटर
पृष्ठ	9.00 मीटर	9.00 मीटर
दाई साइड	9.00 मीटर	9.00 मीटर
बाई साइड	9.00 मीटर	9.00 मीटर

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Asst. Arch. Architect

नाम
पद

वी.जी.ए.डा.देवपुजारी
मुख्य वास्तुविद नियोजक

प्रतिलिपि - महाप्रबन्धक(...सह...) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।